रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250312
CG-DL-E-30112023-250312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4862] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2023/अग्रहायण 8, 1945
No. 4862] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2023

का.आ. 5074(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) (इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' के रूप में अभिप्रेत) की धारा 1क की उप-धारा (3) सहपठित धारा 3(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1क की उप-धारा (2) के उपबंधों के तहत दी गई छूट पर विचार करते हुए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पालन किए जाने वाले निबंधन और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करती है:

1. राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के लिए दी गई छूट, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 कि.मी. की हवाई दूरी के अंदर स्थित हैं, पर केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ परामर्श करके रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित के रूप में अधिसूचित किया गया है।

2. सुरक्षा संबंधी और सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना के लिए दी गई छूट विशेष रूप से, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के लिए होगी। ऐसे जिले जिन्हें पहले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के रूप में अधिसूचित किया गया था, लेकिन बाद में, वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने की तारीख से पहले, उनका वामपंथी उग्रवाद का दर्जा वापस ले लिया गया है, उक्त अधिनियम के तहत प्रदान की गई छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. उक्त अधिनियम की धारा 1क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iii) के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के वन क्षेत्र में प्रस्तावित निम्नलिखित बारह श्रेणियों को सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी परियोजनाओं के रूप में माना जाएगा:

(i) स्कूल/शैक्षिक संस्थान तकनीकी शिक्षा सहित;

(ii) औषधालय/अस्पताल;

(iii) भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल सहित विद्युत और दूरसंचार लाइनें;

(iv) भूमिगत पेयजल आपूर्ति लाइनों सहित पेयजल;

(v) जल/वर्षा जल संचयन संरचनाएं;

(vi) लघु सिंचाई नहर;

(vii) ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत;

(viii) कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र;

(ix) पावर सब-स्टेशन;

(x) सार्वजनिक सड़कें;

(xi) मोबाइल टावरों सहित संचार पोस्ट;

(xii) संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/चौकियाँ/सीमा चौकियां/निगरानी टावर जैसे पुलिस के प्रतिष्ठान।

4. राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रस्ताव के आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित मौजूदा प्रपत्रों का उपयोग करेंगे, और ऐसे प्रस्तावों पर अधिनियम की धारा 1क की उप-धारा (2) के अनुसरण में परिवेश पोर्टल पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

5. सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना और सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित परियोजनाओं को समग्र विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. उक्त अधिनियम के तहत विचार की गई छूट केवल वन क्षेत्र की ऊपरी सीमा को इंगित करती है, इसलिए, प्रयोक्ता अभिकरण, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी छूटों पर विचार करते समय न्यूनतम वन भूमि को शामिल करते हुए केवल वैध गैर-वानिकी प्रयोजन की अनुमति दी जाए।

7. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अंतर्गत संरक्षित वन भूमि में स्थित प्रस्तावों पर राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्राधिकारियों द्वारा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अथवा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विचार किया जाएगा।

8. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रस्तावों को प्राप्त करने और स्वीकार करने तथा उक्त अधिनियम के तहत भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों को निपटाने वाले नोडल अधिकारी के माध्यम से उन पर कार्यवाही तथा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर सैद्धांतिक अनुमति जारी करने के लिए के लिए, कम से कम उप वन संरक्षक रैंक के अधिकारी को अधिकृत कर सकता है।

9. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, उप वन संरक्षक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सड़क और रेल मार्ग के किनारे पर स्थित सुविधाओं और पर्यावासों तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रस्तावित 0.1 हेक्टेयर तक की वन भूमि से संबंधित प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

10. राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, उक्त अधिनियम की धारा 1क की उपधारा (2) के अधीन प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् निम्नलिखित पर समुचित ध्यान देते हुए तथा इन्ही तक सीमित न रहते हुए, प्रस्ताव की जांच करेंगे और आगे की जांच के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, प्रस्ताव पर विचार करेंगे :

(i) वन भूमि का प्रस्तावित उपयोग किसी भी गैर-कार्यस्थल विशिष्ट उद्देश्य जैसे कृषि उद्देश्य, कार्यालय या आवासीय उद्देश्य या किसी भी कारण से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नहीं है;

(ii) प्रयोक्ता अभिकरण ने सभी विकल्पों पर विचार किया है और उक्त परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प व्यवहार्य नहीं है और उक्त अपेक्षित क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता है;

(iii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित प्राधिकारियों ने अनुशंसा करने से पहले वन भूमि के अपवर्तन से वन, वन्यजीव और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार किया है;

(iv) पर्याप्त औचित्य दिया गया है और आसपास के वनों, मृदा और नमी संरक्षण व्यवस्थाओं, जलग्रहण क्षेत्र आदि पर परियोजना के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त शमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं;

(v) यदि प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, बाघ या वन्यजीव गलियारों या वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की किसी भी संकटग्रस्त या खतरे में आने वाली प्रजातियों के पर्यावासों आदि में स्थित हैं, तो क्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उचित शमन उपायों का प्रस्ताव किया गया है;

(vi) प्रयोक्ता अभिकरण, जैसा कि लागू है, प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि और लागत और निवल वर्तमान मूल्य प्रदान करने का वचन देती है; और

(vii) राष्ट्रीय वन नीति के तहत संबंधित अधिदेश;

11. वृक्षों के नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए, राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संगत नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण करेंगे और प्रयोक्ता अभिकरण से अपवर्तन की जा रही वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य की वसूली से करेंगे।

12. जैसा की केन्द्रीय सरकार द्वारा 'कार्यकारी अनुमति' से संबंधित नियम और दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, राज्य सरकार, यदि ऐसा चाहे, तो प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने के बाद प्रयोक्ता अभिकरण से प्रतिपूरक वनीकरण, एनपीवी, वन्यजीव प्रबंधन योजना और मृदा और नमी संरक्षण योजना आदि जैसे यथा लागू क्षतिपूरक शुल्कों के भुगतान, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या स्थानीय वन अधिनियम के तहत प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अभिज्ञात भूमि की संरक्षित वन के रूप में अधिसूचना और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित अन्य संविधियों के अनुपालन के पश्चात, 'अंतिम' अनुमोदन प्रदान करने से पहले परियोजना कार्य शुरू करने के लिए 'कार्यकारी अनुमति' प्रदान कर सकती है।

13. प्रतिपूरक वनीकरण की लागत, निवल वर्तमान मूल्य और शमन योजनाओं की लागत, यदि कोई निर्धारित की गई हो, जैसे प्रतिपूरक शुल्कों की वसूली प्रयोक्ता अभिकरण से की जाएगी और इसे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण के खाते में जमा किया जाएगा।

14. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिज्ञात और विनिर्धारित की गई भूमि का वनीकरण और उपचार अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजना, जिसे अपवर्तन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया गया था, के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाएगा और प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य शमन योजनाओं का कार्य, जैसा भी लागू हो, तदनुरूपी वन भूमि के अपवर्तन संबंधी आदेश के जारी होने के दो वर्ष के भीतर शुरू किया जाएगा;

15. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, दो चरणों अर्थात: 'सैद्धांतिक' अनुमोदन और 'अंतिम' अनुमोदन में अनुमोदन प्रदान करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के संतोषजनक अनुपालन प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

16. राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल वैध, विशुद्ध रूप से वनो के संरक्षण और सुरक्षा हित में, जैसे प्रतिपूरक वनीकरण करना, प्रतिपूरक शुल्कों का भुगतान, शमन उपाय आदि शर्तें अनुमोदन में निर्धारित की जाये।

17. सामरिक, सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाएं, जो अधिनियम की धारा 1क की उप-धारा (2) के तहत आती हैं, लेकिन उक्त अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ी हैं, को नीचे दी गई निर्धारित रीति से निपटाया जाएगा:

(i) अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित प्रस्तावों को अधिनियम की धारा 1क की उप-धारा (2) के उपबंधों के तहत शामिल नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव, जहां धारा 1क की उप-धारा (2) के तहत अनुमोदन राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विचाराधीन है और परियोजना कार्य शुरू करने पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लंघन किया जाता है, ऐसे प्रस्तावों पर इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दंडात्मक प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी;

(ii) ऐसी परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव, जहां राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य शुरू किया गया है, उक्त अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार के कार्योत्तर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे;

(iii) क्षेत्रीय कार्यालय या उनके उप-कार्यालय, राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जिनके अधिकार क्षेत्र में अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित प्रस्ताव आता है, इस संबंध में अधिनियम की धारा 3क और 3ख के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे;

18. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), स्थानीय वन अधिनियम या वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 से संबंधित किसी मुद्दे के कारण मुकदमेबाजी या न्यायाधीन वन भूमि पर प्रस्तावों पर ऐसे मामलों में पारित न्यायालयों/अधिकरणों के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की भूमियों में अधिनियम की प्रयोज्यता की तारीख न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित दिशा-निर्देश के अनुसार होगी;

19. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 1क की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन प्रदान किए गए अनुमोदन का विवरण प्रभाग की कार्य योजना में दी गई 'भूमि अनुसूची' में अद्यतित हो।

20. इस प्रकार अपवर्तित की गई वन भूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी;

21. रक्षा या सामरिक परियोजनाओं को छोड़कर, विभिन्न प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का विवरण जैसे बैठकों के कार्यवृत्त, प्रदान किए गए अनुमोदन की प्रतियां, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत निगरानी रिपोर्ट आदि, सार्वजनिक उपयोगिता और अधिनियम की धारा 1क की उप-धारा (2) के तहत शामिल अन्य परियोजनाओं से संबंधित विवरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

22. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता अभिकरण हर साल कम से कम एक बार वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोजन की अनुमति देते समय लगाई गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे और ऐसी निगरानी रिपोर्ट की एक प्रति भविष्य के संदर्भों के लिए परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस तरह की निगरानी के दौरान गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, को इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार निवारक उपायों को संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए;

23. प्रयोक्ता एजेंसी दो साल की अवधि के भीतर कार्य शुरू करेगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दो वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना कार्य शुरू या पूरा नहीं किए जाने के मामले में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, द्वारा दिए गए अनुमोदन को रद्द माना जाएगा और वन भूमि का कब्जा स्थानीय वन विभाग द्वारा ले लिया जाएगा। तथापि, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना के शुरू या पूरा होने में विलंब के लिए वैध और ठोस कारण प्रस्तुत करने के अध्यधीन इस अवधि को एक और वर्ष तक बढ़ा सकते हैं।

24. राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के यथा लागू उपबंधों के तहत पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करेगी और सभी मामलों में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना में सुझाए गए अपेक्षित उपशमन उपाय कार्यान्वित किए जाएंगे;

25. केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचना, अभिलेख और निगरानी के लिए मांगे जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 1क की उप-धारा (2) के अधीन दिए गए अनुमोदनों की एक प्रति, प्रस्ताव का ब्यौरा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

26. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध सूचना के आधार पर या परिवेश पर उपलब्ध अनुसार, मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुपालन के लिए ऐसे प्रस्तावों या कार्यों की निगरानी और उसके तहत कार्रवाई कर सकता है।

27. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के तहत

अधिकारों का समाधान सुनिश्चित करने सहित यथा लागू अन्य सभी अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों की पूर्ति और अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

28. केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) के तहत राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी भी संगठन को उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के संबंध में यथा आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

[फा. सं. एफसी - 11/61/2021-एफसी]

रमेश कुमार पाण्डेय, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2023

S.O. 5074(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1A read with section 3 (C) of the Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the Central Government hereby notifies the guidelines specifying the terms and conditions to be abided by the State Government or Union territory, while considering exemptions provided under sub-section (2) of section 1A of the said Adhiniyam, namely:-

1. Exemption for strategic linear projects of national importance and concerning national security that are located within hundred kilometres of aerial distance from the international borders, Line of Control or Line of Actual Control shall be considered only for such projects which have been notified as strategic and concerning national security by the Central Government in consultation with the respective State Governments or the Union territory Administration.

2. Exemptions for security related and public utility infrastructure shall be considered exclusively for Left Wing Extremism affected Districts, as notified by the Central Government. Such districts that were earlier notified as Left Wing Extremism Districts but subsequently, their Left Wing Extremism District status, on or before the date of handing over the forest land to the user agency, has been withdrawn, shall not be eligible for the exemption.

3. For the purpose of subclause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, the following twelve categories of public infrastructure works in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, as notified by the Central Government, in the forest areas, shall be considered as public utility projects, namely:-

 (i) Schools or educational institutes including technical education;

 (ii) Dispensaries or hospitals;

 (iii) Electrical and telecommunication lines including underground optical fibres cables;

 (iv) Drinking water including underground drinking water supply lines;

 (v) Water or rain water harvesting structures;

 (vi) Minor irrigation canal;

 (vii) Non-conventional sources of energy;

 (viii) Skill up gradation or vocational training center;

 (ix) Power sub-stations;

 (x) Public roads;

 (xi) Communication posts including mobile towers; and

 (xii) Police establishments like Police Stations or outposts or border outposts or watch towers in sensitive area.

4. The State Government and Union territory Administration shall use the existing Forms for submission of proposals, and such proposals shall be processed for approval on the PARIVESH Portal in the light of categories given under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam.

5. The projects pertaining to the security related infrastructure and public utility shall be submitted in their entirety. Authorities in the State and Union territory Administration shall ensure strict compliance in this regard.

6. The exemptions considered under the Adhiniyam only indicates the upper limit of the forest area, therefore, user agencies, State Governments and Union territory Administration shall ensure that only legitimate non-forestry use, involving minimum forest land, is allowed while considering such exemptions.

7. Proposals, located in the forest lands protected under the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), shall be considered by the authorities in the State Government or Union territory Administrations only after obtaining the approval of the Standing Committee of the National Board for Wildlife or as per the guidelines issued by the Central Government in this regard.

8. The State Government or Union territory Administration, as the case may be, may authorise an officer not below the rank of the Deputy Conservator of Forests to receive and accept the proposals and process them through the Nodal Officer, dealing with the matters related to land transfer under the Adhiniyam for obtaining the approval of the Competent Authority in the State Government or the Union territory Administration and accordingly grant 'In-principle' approval.

9. The State Government or the Union territory Administration may authorise an officer of the level of Deputy Conservator of Forests or above to grant permissions in respect of proposals proposed for providing connectivity to the road and rail side amenities and habitations involving upto 0.1 ha of forest land.

10. The State Governments or the Union territories Administrations, after receipt of such proposals from the user agency under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, shall examine such proposals giving due regard, but not limited to, the following, namely:-

(i) the proposed use of the forest land is not for any non-site specific purpose such as agricultural purpose, office or residential purpose or for the rehabilitation of persons displaced for any reason;

(ii) the user agency has considered all alternatives and that no other alternative in the circumstances is feasible and that the required area is the minimum needed;

(iii) the concerned authorities in the State Government or the Union territory Administration before making the recommendation, have considered all issues having direct bearing or indirect impact of the diversion of forest land on the forest, wildlife and environment;

(iv) adequate justification has been given and appropriate mitigation measures have been proposed by the user agency to mitigate the impact of the project on the surrounding forests, soil and moisture conservation regimes, catchment area, etc.

(v) in case proposed area is located in the Protected Areas, tiger or wildlife corridors or habitat of any endangered or threatened species of flora and fauna, as may be applicable, whether appropriate mitigation measures have been proposed by the user agency; and

(vi) the user agency, undertakes to provide the land and cost of compensatory afforestation and Net Present Value, as applicable; and

(vii) concerned mandates under the National Forest Policy.

11. To compensate the loss of trees, the State Government or the Union territory Administration shall raise compensatory afforestation and realise Net Present Value of the forest land, being diverted, from the user agency, in accordance with the relevant rules and guideline issued by the Central Government in this regard from time to time for diversion of forest land.

12. The State Government, if so desire, after granting 'In-principle' approval to the proposal and deposition of compensatory levies such as compensatory afforestation and Net Present Value and cost of mitigation plans such as of the Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as applicable, notification of the land identified for raising compensatory afforestation as Protected Forest under Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local forest Act and compliance of other statutes including the Schedule Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), may grant 'working permission' for the commencement of project work before grant of 'Final' approval as specified by the Central Government in the relevant rule and guidelines in respect of such 'working permission.

13. The compensatory levies such as cost of raising compensatory afforestation, Net Present Value and cost of mitigation plans, if any prescribed, shall be realised from the user agency and the same shall be deposited into the account of the State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority of the concerned State or Union territory, managed by the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority.

14. The land identified and earmarked for compensatory afforestation shall be treated and afforested by the State Government or Union territory Administration or user agency as per the Compensatory Afforestation plan approved as part of the said forest diversion proposal and the work of Compensatory Afforestation and other

mitigation plans, as applicable, shall start within two year of issue of order of diversion order of the corresponding forest land.

15. The State Government or the Union territory Administration shall grant approval in two stages viz. 'In-principle' approval and 'Final' approval. After receipt of satisfactory compliance of conditions stipulated in the 'in-principle' approval from the user agency, the 'Final' approval will be granted by the State Government or the Union territory Administration.

16. The authorities concerned in the State Governments and Union territory Administration shall ensure that only legitimate conditions, purely in the interests of conservation and protection of forest, such as raising of compensatory afforestation, payment of compensatory levies, mitigation measures, as applicable, are stipulated in the approvals.

17. Strategic, security and public utility projects, covered under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, but involving violation of the Adhiniyam shall be dealt with in the following manner, namely:-

(i) Proposals, involving violations of the Adhiniyam will not be covered under the provisions of sub- section (2) of section 1A of the Adhiniyam:

Provided that proposals, where approval under sub-section (2) of section 1A is under consideration of the State Government or Union territory Administration and violation is committed by the user agency by commencing the project work, such proposals will be subjected to the penal provisions by the State or Union territory Administration, as per the relevant guidelines issued by the Ministry in this regard;

(ii) Proposals, pertaining to such project(s) where work has been commenced without the prior approval of the State or Union territory Administration, will be submitted for ex-post facto approval of the Central Government under the Adhiniyam, ; and

(iii) Regional Office or their Sub-Offices, State Governments or the Union territory Administrations, under whose jurisdiction the proposal involving violation of the Adhiniyam falls, shall take legal action against the offenders in accordance with the provisions of Section 3A and 3B of the Adhiniyam and relevant guidelines issued by the Central Government in this regard;

18. The proposals on forest land under litigation or *sub-judice* on account of an issue pertaining to the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), Local Forest Act or said Adhiniyam will be dealt as per the orders of the courts or tribunals passed in such cases and the date of applicability of the Adhiniyam in such lands shall be in accordance with the direction, if so passed by the Courts/Tribunals;

19. The State Government shall ensure that detail of approval granted under the provisions of sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, is updated in the 'Land Schedule' given in the Working Plan of the Division.

20. The legal status of the forest land so diverted shall remain unchanged.

21. Barring defence or strategic projects, the detail of proceedings of the various authorities such as minutes of the meetings, copies of approvals granted, monitoring reports submitted by the user agency, pertaining to public utility and other projects covered under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, shall be uploaded on the PARIVESH portal by the concerned State Governments or the Union territories Administrations.

22. The State Government or Union territory Administration and the user agency shall monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed while allowing the non-forestry use of forest land and a copy of such monitoring report shall be uploaded on PARIVESH for future references. Non-compliances, if any, observed during such monitoring, should be brought to the notice of the concerned authorities for undertaking remedial measures as per the relevant guidelines issued by the Central Government in this regard.

23. The user agency shall commence the work within a period of two years. In case, no commencement or completion of project work is undertaken by the user agency within a period of two years, the approval granted by the State Government or Union territory Administration shall stand rejected and the possession of the forest land will be taken over by the local Forest Department. However, the State Governments or the Union territory Administrations, subject to submission of valid and cogent reasons for delay in commencement or completion of the project beyond two years by the user agency, can extend the period by another year.

24. The State Government and Union territory Administration shall ensure that the user agency shall obtain environment clearance under the provisions of the Environment Impact Assessment Notification, 2006, as applicable, and requisite mitigation measure as suggested in the Environment Management Plan shall be implemented by the user agency in all cases.

25. The State Government or Union territory Administration shall provide a copy of the approvals given under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam and shall also furnish, the details of proposals and such orders, as and when sought by the Central Government for information, record and monitoring.

26. The Regional Office of the Ministry, based on the available information provided by the State Government or Union territory Administration or as available on PARIVESH, can carry out monitoring of such proposals or works for compliance of relevant provisions of the Adhiniayam and action thereunder.

27. The State Government or Union territory Administration prior to handing over the forest land to the user agency, shall ensure fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable, including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007); and

28. The Central Government, under section 3(C) of the Adhiniyam may further clarify or issue directions to the State Government or Union territory Administration or to any organisation as may be necessary with respect to guidelines for the implementation of the Adhiniyam.

[F. No. FC-11/61/2021-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.11.30 11:41:48 +05'30'